तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी
	18/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील परिवादी उपस्थित। राजीनामा का अवलोकन किया गया। राजीनामा पर आपत्ती पेश नहीं हुई। राजीनामा करने का स्पष्ट [illegible] समाधान जनक प्रतीत होते हैं जिसे स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा की अंतिम डिक्री राजीनामा अनुसार वाद [illegible] निर्णय प्रपत्र के किया जाती है। शामिल पत्रावली किया गया बाद तामील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। 18/12/25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई जिला दौसा

मु.न. 52/2025

दर्ज दिनांक 26.03.2025

निर्णय दिनांक 18.12.2025

उनवान

1. धन्ना लाल सैनी पुत्र गंगाधर जाति माली निवासी बंशी का गोला झाज्या का बास तहसील बांदीकुई जिला दौसा
2. पूरणमल सैनी पुत्र भौरीलाल जाति माली निवासी आमाली कोठी आभानेरी तहसील बांदीकुई जिला दौसा
3. मनीष पुत्र गीलाराम निवासी आमाली कोठी आभानेरी तहसील बांदीकुई जिला दौसा
4. प्रिया कुमारी पुत्री गीलाराम
5. रीना पुत्री गीलाराम }– नाबालिकान जरिये संरक्षक प्राकृतिक माता श्रीमती रामपति देवी पत्नि गीलाराम समस्त जाति माली निवासीयान ढाणी हरिजन आभानेरी तहसील बांदीकई जिला दौसा
6. शान्ति देवी पत्नि श्रवण लाल जाति माली 'निवासी आमाली कोठी आभानेरी तहसील बांदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. रामफुल पुत्र रामधन
2. बाबूलाल पुत्र रामधन
3. रामकिशन पुत्र रामधन } जाति माली निवासी ढाणी हरिजन आभानेरी तहसील बांदीकुई जिला दौसा
4. प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा
5. तहसीलदार/उपपंजीयक बांदीकुई।

दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादीगण द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जरिये वकील श्री इन्द्रजीत कुण्डारा का पेश किया, जिसका संक्षिप्त में विवरण निम्न प्रकार हैः– वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि ग्राम ढाणी हरिजन पटवार हल्का आभानेरी भु. अभि. नि. क्षेत्र आभानेरी तहसील बांदीकुई जिला दौसा के खाता संख्या नया 79 व पुराना 39 के खसरा नम्बर 213 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 214 रकबा 0.26 हैक्ट. कुल किता 02 कुल रकबा 0.36 हैक्ट. स्थित है। उक्त वर्णित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है। जिसमें वादीगण संख्या 1 का हिस्सा 13/120, वादी संख्या 2 का हिस्सा 13/240, एवं वादी संख्या 3 का हिस्सा 91/1350, वादी संख्या 4 का हिस्सा 13/5400, वादी संख्या 5 का हिस्सा 13/5400 एवं वादी संख्या 6 का हिस्सा 13/360 है जिस पर वादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर पुख्ता दुकान व पुख्ता डण्डा बनाकर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा भूमि अविभाजित है लेकिन मौके पर प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को आपस में मौके पर काबिज करवाकर पुख्ता मकान, दुकान, डण्डा तामिर करवा दिया हैं वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर काबिज करवाने के समय से ही वादीगण भूमि मुतदाविया पर काबिज होकर अपना स्वामित्व अधिकार बनाकर निवास कर उस पर बने हुये है जिस पर प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही है सहखातेदारी भूमि का विधिवत रूप से तकास्मा नही हुआ है। प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी आ जाने से वादीगण की कब्जे काश्त एवं पुख्ता निर्माण की भूमि में बार बार अतिक्रमण करने पर एवं लडाई झगडा करने पर आमादा रहते हैं एवं वादीगण को निहायत हैरान व परेशान करते है जिससे वादीगण बेहद ही दुखी है और विधिक रूप से सहखातेदारी की भूमि को जो अविभाजित है उसे विधिवत रूप से बंटवारा कर अलग रूप से खाता एवं नक्शा दर्ज करवाना चाहते है जिससे प्रतिवादीगण द्वारा बार बार किये जा रहे हैरान व परेशान से वादीगण दुर हो सके। वादीगण ने अनेकों बार प्रतिवादीगण से कहा है कि भूमि का विधिक रूप से बंटवारा प्रतिवादी संख्या 5 के यहां चलकर करवा ले बार बार उन्हे परेशान ना करे और अपनी जमीन की पैमाईश करवा ले लेकिन प्रतिवादीगण इस पर कतई सहमत नही हो रहे है

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 20.03.2025 को भी वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को कहा कि प्रतिवादी संख्या 5 के यहां चले और भूमि का बंटवारा अपने अपने हिस्से अनुसार व मौके के काबिज के अनुसार करवा ले। लेकिन प्रतिवादीगण ने वादीगण से भूमि का बंटवारा किये जाने से कतई मना कर दिया है। विवादित भूमि जिसका वादीगण प्रतिवादीगण सहखातेदारान है। उसका सरस नरस रूप से मौके पर काबिज के अनुसार भूमि का विभाजन किया जाना आवश्यक है एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को बार बार अनावश्यक रूप से उनके कब्जे काश्त की भूमि पर अतिक्रमण करने व लडाई झगडा करने से प्रतिबन्धित करवाये जाना आवश्यक हुआ है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि का अलग राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में खसरा नम्बरान का अलग नम्बरान करवाकर देवी अलग खाता पास बुक राजस्व रिकोर्ड करवाये जाने का अधिकारी है जिससे भविष्य में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का कोई वाद उत्पन्न न हो। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वर्णित भूमि वादीगण संख्या 1 का हिस्सा 13/120, वादी संख्या 2 का हिस्सा 13/240, एवं वादी संख्या 3 का हिस्सा 91/1350, वादी संख्या 4 का हिस्सा 13/5400, वादी संख्या 5 का हिस्सा 13/5400 एवं वादी संख्या 6 का हिस्स 13/360 है जिस पर वादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर पुख्ता दुकान व पुख्ता डण्डा बनाकर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा भूमि अविभाजित है लेकिन मौके पर प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को आपस में मौके पर काबिज करवाकर पुख्ता मकान, दुकान, डण्डा तामिर करवा दिया हैं वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर काबिज करवाने के समय से ही वादीगण भूमि मुतदाविया पर काबिज होकर अपना स्वामित्व अधिकार बनाकर निवास कर रहे है जिनका मौके व कब्जे अनुसार तकास्मा किया जाकर अलग अलग खाता व पास बुक जारी की जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबन्द फरमाया जावें कि भूमि ग्राम ढाणी हरिजन पटवार हल्का आभानेरी भु. अभि. नि. क्षेत्र आभानेरी तहसील बांदीकुई जिला दौसा के खाता संख्या नया 79 व पुराना 39 के खसरा नम्बर 213 रकबा 0. 10 हैक्टर, खसरा नम्बर 214 रकबा 0.26 हैक्ट. कुल किता 02 कुल रकबा 0.36 हैक्ट. जो कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व दो की सहखातेदारी की भूमि है जिसमें वादीगण संख्या 1 का हिस्सा 13/120, वादी संख्या 2 का हिस्सा 13/240, एवं वादी संख्या 3 का हिस्सा 91/1350, वादी संख्या 4 का हिस्सा 13/5400, वादी संख्या 5 का हिस्सा 13/5400 एवं वादी संख्या 6 का हिस्स 13/360 है उक्त भूमि का जब तक विधिवत कब्जे अनुसार तकास्मा नही हो जाता, तब तक वादीगण के हिस्से की कब्जे, काश्त की भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की मजाहमत व व्यवधान पैदा करने से व वादीगण को जबरन भूमि मुतदाविया से बेदखल करने एवं उक्त भूमि मुतदाविया में अवैध निर्माण करने से व अन्य दीगर व्यक्तियों को रहन, बय करने से स्वयं, घरवालों, नौकरों, एजेन्टो एवं मददगारान से दवामि तौर पर बाज व मुमतन्हा पाबन्द रहे। एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें व प्रतिवादी संख्या 5 उक्त भूमि मुतदाविया के राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिबंधित रहे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 बावजूद रजि0 तामिल उपस्थित नहीं हुए ना ही उनका कोई विधिक प्रतिनिधि उपस्थित आया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। वादीगण वकील द्वारा वाद को प्राथमिक डिक्री किये जाने बाबत् निवेदन किया। दिनांक 09.09.2025 को न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार बांदीकुई को कुर्रेजात प्रस्ताव मय नक्शा ट्रैस तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार बांदीकुई द्वारा उक्त प्राथमिक डिकी की पालना में पत्रांक भू.अ./2025/10525 दिनांक 05.12.2025 के द्वारा कुर्रेजात /विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये गये। तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त कुर्रेजात का अवलोकन पक्षकारो को करवाया गया किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति कुर्रेजात प्रस्ताव पर प्राप्त नही हुई। वादी द्वारा प्राप्त कुर्रेजात पर सहमति प्रकट की गई। प्राप्त कुर्रेजात राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अनुसार तैयार किये जाना प्रतीत होते है। प्राप्त कुर्रेजात स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किये जाते है। पक्षकारान का तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त कुर्रेजात 10825 दिनांक 05.12.2025 के अनुसार निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:–

Scanned with OKEN Scanner

क्र. स	काश्तकार का नाम मय पता	ख.न.	रकबा	किस्म
1	धन्नालाल पुत्र गंगाधर जाति माली हिस्सा 2/5 गोला झांज्या का बास पूरणमल पुत्र भौरीलाल 1/5 सा. आमाली मनीष कुमार पुत्र गीलाराम हिस्सा 56/225 सा. आभानेरी नाबालिग प्रिया कुमारी पुत्री गीलाराम संरक्षक माता रामपति देवी हिस्सा 2/225 सा. आभानेरी नाबालिग रीना पुत्री गीलाराम संरक्षक माता रामपति देवी हिस्सा 2/225 सा. आभानेरी शांति देवी पत्नि श्रवणलाल हिस्सा 2/15 जाति माली सा. आमाली कोठी	213/1 214/1	0.0075 0.09	चाही 1 चाही 1
		कुल किता 2	0.0975	
2	बाबूलाल पुत्र रामधन हिस्सा 16/35 सा.देह माली बिना रहन रामकिशन पुत्र रामधन हिस्सा 16/35 राहिन बैंक ऑफ बडौदा बांदीकुई रामफूल पुत्र रामधन हिस्सा 3/35 सा. देह माली	213/2 214/24	0.0925 0.17	चाही 1 चाही 1
		कुल किता 2	0.2625	

अतः आदेश है कि वाद अंतिम डिक्री किया जाकर किया जाकर तहसीलदार बांदीकुई को निर्देश दिये जाते है कि भूमि ग्राम ढाणी हरिजन पटवार हल्का आभानेरी भु. अभि. नि. क्षेत्र आभानेरी तहसील बांदीकुई जिला दौसा के खाता संख्या नया 79 व पुराना 39 के खसरा नम्बर 213 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 214 रकबा 0.26 हैक्ट. कुल किता 02 कुल रकबा 0.36 हैक्ट. में तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त कुर्रेजात अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। कुर्रेजात निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के हिस्से में आयी भूमि पर मजाहमत पैदा ना करे। अंतिम पर्चा डिक्री एवं तहरीर जारी हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 18.12.2025 को खुले न्यायालय मे निर्णय सुनाया गया।

18/12/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner